

पर्चा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)  
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 70/18

अनवान :

1. जयवीर पुत्र राजेन्द्रप्रसाद जाति जाट निवासी चक 3 एनटीआर नेठराना तहसील भादरा।
2. पवनकुमार पुत्र राजेन्द्रप्रसाद जाति जाट निवासी चक 3 एनटीआर नेठराना तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी चक 3 एनटीआर नेठराना।
  2. सुनीता
  3. सरोज
  4. पूनम
- पुत्रियांन राजेन्द्रप्रसाद जाति जाट निवासी  
चक 3 एनटीआर नेठराना।
5. ओरियन्टल बैंक आफ कामश शाखा नठराना जारय शाखा प्रबन्धक।
  6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती  
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम 1955।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 नेठराना में वकीलवादी श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 3 एनटीआर के खाता सं० 119/107 के मु० न. 91 किला न. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 22, मु० न. 92 के किला न. 3 ता 20, 22 ता 25 मु० न० 93 के किला न. 6,7, 14 ता 17, तथा की कुल 10.094 हैक्टर नहरी मय खाला रास्ता व चक 3 एनटीआर के खाता सं० 120/108 के मु० न. 92 के किला न. 21, मु० न. 93 के किला न. 25 मु० न. 105 के किला न. 1 ता 3, कुल 0.759 हैक्टर नहरी मय खाला में प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्रप्रसाद का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 1 को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादी सं० 2 ता 4 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S.  
भादरा, जिला हनुमानगढ़  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़